गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पन्तनगर–263145 ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड

विज्ञापन संख्या – वि0नि0/02/2016

विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन–रू0 2800 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु 80 पद एवं बैकलॉग के पद–13 कुल–93 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सहायक लेखाकार पद की रिक्तियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:–

सीधी भर्ती के पद:–

श्रेणीवार पदों का विवरण	श्रेणीवार पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण					
		महिला 30 प्रतिशत्	भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत्	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत्	शारीरिक रूप से विकलांग 3 प्रतिशत्	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी 10 प्रतिशत्	कुशल खिलाड़ी 4 प्रतिशत्
सामान्य वर्ग	51	15	03	01	02	05	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	11	03	01	–	–	01	–
अनुसूचित जाति	15	05	01	–	–	02	01
अनुसूचित जन जाति	03	01	–	–	–	–	–
योग	80	24	05	01	02	08	03

उक्त पदों से अतिरिक्त बैकलॉग के पद:–

सामान्य वर्ग (महिला)	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	अनु0 जनजाति
03	03	01	03	02	01

1. **शैक्षिक योग्यता**:– सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता:– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी। 2. हिन्दी में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा।
2. विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि तक वैध (Valid)हो।
3. **राष्ट्रीयता**: सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

   (क) भारत का नागरिक हो; (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो; या होना चाहिए या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के लिए अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

   परन्तु उपर्युक्त 3 (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया हो:

   परन्तु यह और कि 3 (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

   परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त 3 (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

   टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है किन्तु वह जारी न किया गया हो तथा न ही अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत करने से इंकार किया गया हो, इस दशा में परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और

Desktop/comptroller office order

21/11/2016

अभ्यार्थी को इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जायेगा जो उसके पक्ष में जारी किया गया हो।

4. चरित्रः– सेवा में सहायक लेखाकर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

5. वैवाहिक प्रास्थितिः– सेवा में विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी हों।

6. शारीरिक स्वस्थता– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सहायक लेखाकार के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो।

7. आरक्षण :–

(i) ऊर्ध्व आरक्षणः– उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) क्षैतिज आरक्षणः– उत्तराखण्ड की महिलाओं को 30 प्रतिशत्, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत्, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत्, विकलांग (शा0सं0–196/दिनांक 25.03.2011 के अनुसार ओ0ए0 एवं ओ0एल0 श्रेणी के) अभ्यर्थियों हेतु 3 प्रतिशत् एवं कुशल खिलाड़ियों हेतु 04 प्रतिशत (शा0सं0–2461/XXX(2)/2006 दिनांक 06.10.2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार) क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा।

(iii) भूतपूर्व सैनिकः– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता–आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सेना में पुर्नवास के लिए वृद्धि की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं–

(क) ऐसे आवेदकों को थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि, पुर्नवास के लिए की गयी है। और उनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) ऐसे आवेदकों को यथा–समय यह लिखित अण्डरटेंकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया है अथवा वह त्यागपत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ है अथवा वह सेना से कदाचार के कारण अवमुक्त हुआ है।

(iv) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनका उक्त पद हेतु चयन उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों के प्रतिबन्धाधीन रहेगा।

नोटः– यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

8. आयु सीमा :–

(i) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 107/xxx(2)/2014-55(41)/2004 दिनांक 25.02.2014 के अनुसार 42 वर्ष तक के अभ्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2017 की तिथि से की जायेगी।

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट : (क) शा0सं0–1399/XXX (2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(iii) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से **विकलांग/निःशक्त** अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(iv) विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी।

9. परीक्षा शुल्कः–

नियंत्रक, गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर के पक्ष में **भारतीय स्टेट बैंक, पन्तनगर (कोड संख्या–1133)** में देय रू0 200.00 सामान्य एवं पिछड़े वर्ग तथा रू0 100.00 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों हेतु रेखांकित बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा। आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय के नियंत्रक कार्यालय के बरसर अनुभाग में नकद भी जमा किया जा सकता है।

Desktop/comptroller office order

10. पदों की भर्ती हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जो हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। लिखित परीक्षा 3 घंटे अवधि की होगी जिसमें 100–100 अंको के दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में बी0कॉम0 या समकक्ष स्तर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित 100 प्रश्न होंगे। द्वितीय खण्ड में सामान्य हिन्दी के 30 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 20 प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे। **प्रश्नपत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।** परीक्षा उपरान्त प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिका की कार्बन प्रति परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा में न्यूनतम **40 प्रतिशत्** तथा अनु0 जाति एवं जन जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत् अंक लाना अनिवार्य होगा।

11. निर्धारित परीक्षा के पश्चात् परीक्षा की उत्तर माला (Answer Key) को विश्वविद्यालय की वेबसाइड www.gbpuat.ac.in में प्रकाशित किया जायेगा।

12. कम्प्यूटर संचालन परीक्षा के लिए 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा हिन्दी भाषा में होगी तथा जिसमे अभ्यर्थी को सफल होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में अभ्यार्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जायेगा। अन्तिम वरीयता सूची अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल होने एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जायेगी।

13. <u>अन्य आवश्यक निर्देशः–</u>

(1) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता को पूरा करते हों। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी विश्वविद्यालय की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए (जो लागू हों) तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। **अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।**

(3) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्र व्यवहार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। **अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो विश्वविद्यालय उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।**

(4) अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद, सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। **कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।**

(5) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(6) परीक्षा की तिथि, कार्यक्रम, समय तथा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश–पत्र ऑनलाइन तथा पोस्टल डाक के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आंवटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।

(7) <u>आवेदन पत्र का अग्रसारण</u> :– अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तलिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्रों सहित।) 9"x12" साईज के लिफाफे में रखकर "संयोजक, परीक्षा एवं **चयन, लैम्बर्ट स्क्वायर अतिथि गृह, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर जिला–ऊधमसिंहनगर–263145, उत्तराखण्ड**" के पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2017 को सायं 5 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। **लिफाफे के ऊपर "विज्ञापन संख्या** अवश्य अंकित करें। अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(8) आवेदन पत्र में कोई संलग्नक गलत/अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(9) आवेदन पर नवीनतम स्वप्रमाणित पास्पोर्ट साइज की फोटो लगाना आवश्यक है तथा **एक अतिरिक्त फोटो आवेदन के साथ प्रेषित की जानी है।**

(10) गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर की वेबसाइट **www.gbpuat.ac.in** से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर ए–4 साईज के सफेद पेपर में प्रिन्ट/टंकित कराकर स्वच्छ एवं पठनीय हस्तलिपि से भरे जायेंगे।

Desktop/comptroller office order

(11) आवेदन के साथ शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं, जन्म तिथि, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्रों तथा उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की तिथि तक जीवीत पंजीकरण प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(12) अभ्यार्थी जिनके विरूद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो नियुक्त हेतु अपात्र माने जायेंगे।

(13) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय/निगम से पदच्युत अभ्यार्थी नियुक्त हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(14) अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(15) इस विज्ञापन के द्वारा नियुक्तियों की प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

21/12/2016

नियंत्रक
गो0ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर
ऊधमसिंहनगर

Desktop/comptroller office order

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड

सहायक लेखाकार के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. पद का नाम :.. विज्ञापन संख्या :..............................
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (क) हिन्दी में : ....
   (ख) अग्रेजी के बड़े अक्षरों में : [ ]
3. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
   ....
   ....pिन कोड ....
   दूरभाष सं0 एस.टी. कोटे सहित/मोबाइल संख्या : ....

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

4. स्थाई पता : ....
   ....
   ....
   ....पिन कोड ....
5. पिता/पति का नाम : ....
6. जन्म तिथि : [ ][ ] दिन [ ][ ] माह [ ][ ][ ][ ] वर्ष

दिनांक 01.01.2017 को आयु : [ ][ ] दिन [ ][ ] माह [ ][ ][ ][ ] वर्ष

7. लिंग : (√) चिन्हित करें। [ ] महिला [ ] पुरूष
8. श्रेणी : (√) चिन्हित करें। [ ] सामान्य [ ] अनु0जाति [ ] अनु0जन0जाति0 [ ] अन्य पिछड़ा वर्ग
9. वैवाहिक स्थिति (√) चिन्हित करें : [ ] विवाहित [ ] अविवाहित
10. उप श्रेणी (√) चिन्हित करें : [ ] महिला [ ] भू0 सैनिक [ ] स्व. संग्राम सेनानी के आश्रित [ ] विकलांग [ ] [illegible] [ ] [illegible]
11. क्या आप जन्म तथा अधिवास से भारतीय नागरिक है? (हाँ/नहीं)..
12. क्या आप उत्तराखण्ड के मूल निवासी हैं? (हाँ/नहीं)..
13. क्या किसी न्यायालय द्वारा आपको दण्डित किया गया है? यदि हाँ तो वह क्या था और किन परिस्थितियों में मिला ...
    ....
14. ड्राफ्ट/विश्वविद्यालय रसीद का विवरण : ड्राफ्ट संख्या ....धनराशि रू0..........................
    बैंक का नाम...दिनांक..

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर..

Desktop/comptroller office order

15. शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता का विवरण :

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0/संस्था	प्राप्तांक	प्रतिशत् अंक

16. यदि आप किसी संस्था अथवा विभाग में सेवारत हों तो, उसका पूर्ण विवरण :–

पद का नाम	नियुक्ति का स्थान	नियोक्ता का नाम	सेवा में प्रवेश की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	वेतनमान

17. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय की पंजीकरण संख्या.................................पंजीकरण की तिथि.............................
पंजीकरण का कोड.......................................स्थान...पंजीकरण किसी तिथि तक वैद्य है.......................

<u>अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र :–</u>

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति श्री...यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो कुछ विवरण मेरे द्वारा दिया गया है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उपरोक्त सूचना तथा प्रमाण पत्र, आदि में कोई भी कथन असत्य पाया गया तो मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँगा/दी जाऊँगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ यदि चयन के बाद मै नियुक्त हो गया/गयी, तो नौकरी से हटा दिया जाऊँगा/हटा दी जाऊँगी एवं मेरे विरूद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक :..................................

पूरा नाम ....

स्थान :...................................

Desktop/comptroller office order